वनाग्नि पर “दून घोषणा”

दुनिया भर में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, जो जंगल और उससे जुड़े स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। हिमालयी क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन और आमतौर पर प्रचलित प्रबंधन प्रथाओं के कारण वनाग्नि की प्रबृत्ति में बदलाव आ रहा है। साल में लंबे अंतराल तक सूखे की अवधि, आग के मौसम का लंबा होना, हीट वेव्स, और प्रबंधन के ऐसे क्रियाकलाप जो आग को प्रोत्साहित करते हैं, भविष्य में वन प्रबंधकों और समुदायों के लिए जलवायु अनुरूप निर्माण लागत में तेजी से वृद्धि के अलावा भी कई और गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं .

वनाग्नि की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के साथ हिमालयी क्षेत्र में उपरोक्त प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एसएफआर 2021 के अनुसार, आठ महीने की अवधि (नवंबर 2020 और जून 2021) के बीच, एसएनपीपी-वीआईआईआरएस उपग्रह सेंसर के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के लिए लगभग 21,000 और हिमाचल प्रदेश के लिए 4,200 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं। 2016 को हाल के दिनों में सबसे खराब अग्नि वर्ष माना जाता है, जिसमें उत्तराखंड राज्य में लगभग 4500 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुए। वनाग्नि की इन घटनाओं में 9 लोगों की जान गयी और 17 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वनाग्नि से जैव विविधता को होने वाला नुकसान काफी हद तक अज्ञात है (जैसे, वन्यजीव, दुर्लभ पौधे, मिट्टी के जीव आदि)।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में, 17 अगस्त, 2022 को आयोजित "पश्चिमी हिमालय में वनाग्नि पर कार्यशाला" के प्रतिभागियों द्वारा कार्रवाई का आह्वान जारी किया गया , जिसमें प्रख्यात पारिस्थितिकीविद्, इतिहासकार, नागरिक समाज के नेता, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), वन अनुसंधान संस्थान (FRI), भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के वन अधिकारी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, थिंक-टैंक और संबंधित नागरिकों के प्रतिनिधि जैसे वनाग्नि पर अध्ययन करने वाले अथवा इसकी समझदारी रखने वाले लोग शामिल थे। दून घोषणापत्र उक्त एक दिवसीय कार्यशाला में हुए विचारमंथन का सारांश है और इसे वैश्विक स्तर पर

हिमालयी जंगलों के महत्व और जलवायु परिवर्तन पर भारत द्वारा की गई वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है।

दून घोषणापत्र में तीन श्रेणियों के तहत सिफारिशें शामिल हैं, यथा: कार्ययोजना, तैयारी और प्रतिक्रिया, जागरूकता और क्षमता निर्माण तथा अनुसंधानपरक बेहतर नीतिगत निर्णय। हमारा मानना है कि जंगल की आग का प्रबंधन एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों के रूप में विचार करने की अनुशंसा की जाती है। हम यह भी मानते हैं कि निम्नलिखित सिफारिशों के लिए एक निष्पादन योजना भी विकसित करने की आवश्यकता है।

A)कार्ययोजना,तैयारी और प्रतिक्रिया:

1. हमें प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से अधिक नियोजित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आग के लिए मौसमी प्रतिक्रियाओं के सिंड्रोम के बजाय 5 साल या उससे अधिक की मध्यम अवधि की योजना बनाई जानी चाहिए। इसलिए संबंधित राज्यों के विभाग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक वार्षिक वनाग्नि कार्य योजना विकसित करने और इसे (हिंदी और अंग्रेजी में) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो सर्व सुलभ, पारदर्शी और हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। वार्षिक राज्यव्यापी वनाग्नि योजना आदर्श रूप से प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर तक तैयार की जानी चाहिए और इसके लिए समुचित धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों, राज्य वन विभागों, नागरिक समाज, और उत्तराखंड और हिमाचल के राज्य स्तर पर समुदायों को शामिल करते हुए वन आग प्रबंधन पर एक संघ का गठन किया जाना चाहिए। हम अनुशंसा करते हैं कि इसे 31 दिसंबर 2022 से पहले पूरा कर लिया जाए।

3. वन विभागों को बेहतर संसाधन देने की जरूरत है। फ्रंटलाइन स्टाफ, जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स को पृथक–पृथक जिम्मेदारियां और बेहतर उपकरण दिए जाने की जरूरत है। वन रक्षकों और सामुदायिक अग्निशामकों को गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा गियर प्रदान किए जाने चाहिए। अग्निशमन के लिए समय पर धनराशि जारी करना महत्वपूर्ण है।

4. वनाग्नि के शमन और प्रबंधन के लिए स्थानीय युवाओं का एक संवर्ग विकसित किया जाए। इस कार्डर को वन अग्नि योद्धा कहा जा सकता है और अग्नि प्रबंधन और शमन में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इन वन अग्निशामकों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए और जीवन बीमा और प्रमाणन जैसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जो उन्हें अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।

5. एनडीआरएफ के तहत एक विशेष वन फायर विंग का गठन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के वनों में अग्निशमन पर आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक प्रदान की जानी चाहिए। वन-अग्नि समूह, वन रक्षक और चिन्हित समुदाय, वन अग्नि योद्धाओं के सहयोग से काम करें।

6. वन उपयोगकर्ता संस्थाओं, जैसे वन-पंचायतों को आग से बचाने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाना किया जाना चाहिए। वनों में कार्बन भंडारण में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कैम्पा के माध्यम से वित्त पोषित पुरस्कारों की एक प्रणाली शुरू की जा सकती है।

B) जागरूकता और क्षमता निर्माण

7. आग की रोकथाम पर स्थानीय समुदायों में जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण की जोरदार सिफारिश की जाती है। अग्निशमन में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने में मदद करने के लिए वन अग्नि योद्धा जैसे कार्यक्रमों और चीड की पत्तियों (पिरूल) को जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन की सिफारिश की जाती है।

8. प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक जंगल की आग के मुद्दों को पर्यावरण शिक्षा के हिस्से के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। जैव विविधता के अभियान, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। एनएसएस और एनसीसी की गतिविधियों को चाल-खाल बनाने, कूड़े को हटाने (पिरूल हटाने) और स्कूलों/कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के पास जहां कहीं भी संभव हो, फायर लाइन बनाने से भी जोड़ा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप शुष्क परिस्थितियाँ एक प्रमुख चिंता का विषय हैं। जंगल के भीतर मिट्टी और नमी संरक्षण को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। छात्रों को जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह से

पता होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कई तरह से जंगल की आग के फैलने के प्रमुख कारणों में से एक है।

9. पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन के लिए सोशल मीडिया की मदद से और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, जंगलों और अन्य चौकियों और होटल/रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर पर्यटकों को संबोधित बड़े पैमाने पर और निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आगंतुकों को जंगल की आग के खतरों और आकस्मिक प्रज्वलन को रोकने के तरीके के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

10. बेहतर निर्णय लेने और इस तरह की पहल का समर्थन करने के लिए जंगल की आग के प्रभाव के बारे में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को सूचित करने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण रिपोर्टिंग में शामिल पत्रकारों को जंगल की आग पर सटीक रिपोर्टिंग के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ताकि एक ओर भय-मनोविकृति से बचा जा सके और दूसरी ओर बेहतर पर्यावरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके।

11. सामाजिक-व्यवहार में परिवर्तन अनिवार्य है- बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है लेकिन पर्यावरण अध्ययन के तहत शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में अग्नि प्रबंधन को शामिल करके भविष्य के परिवर्तन निर्माताओं को प्रभावित करके इसे सर्वोत्तम रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। यह वकालत की जाती है कि भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं यानी एनएसएस में एक गतिविधि के रूप में ईंधन लोड हटाने को शामिल किया जा सकता है।

12. ग्रामीण वनों के पलायित, अप्रवासी और शुभचिंतकों से ग्राम अग्नि कोष विकसित किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक पंचायतों या गांवों को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस पर सम्मानित किया जाना चाहिए। यह हिमालय दिवस के समारोहों को कुछ अर्थ देगा, जो वर्तमान में बिना प्रेरणा के हैं।

C) बेहतर नीतिगत निर्णयों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता

13. यह समझने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन जंगल की आग को कैसे प्रभावित करेगा। पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों के साथ-साथ ड्राइविंग और प्रेरक कारकों पर विचार करते हुए एक मजबूत वैज्ञानिक और बहु-विषयक अनुसंधान योजना विकसित की जाए। यह संप्रेषित किया जाना चाहिए कि जंगल की आग कार्बन भंडारण और जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे पेरिस समझौते के तहत जैव विविधता लक्ष्यों और एसडीजी को प्रभावित करेगी। यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन का एक साथ मुकाबला करने के लिए मिश्रित वन एक बेहतर शर्त है या नहीं।

14. चीड़ पाइन के पारिस्थितिक महत्व को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि यह उन स्थितियों में मौजूद हो सकता है जहां कुछ अन्य प्रजातियां पनप सकती हैं, बांज ओक के क्षरण को रोकने के लिए चीड़ के प्रसार को ओक के जंगलों में फैलने से रोकने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को चीड के जंगलों में आग लगाने से रोकने को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है।

15. चीड़ पाइन की हरी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध को हिमालयी पारिस्थितिकीविदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों, नागरिक समाज के सदस्यों और समुदाय स्तर के संरक्षणवादियों के पारिस्थितिक और सामाजिक मूल्यांकन के लिए एक उच्च अधिकारप्राप्त समिति समूह द्वारा फिर से देखा जाना चाहिए। हालांकि, अन्य वनों तथा उनसे जुड़ी प्रजातियों पर प्रतिबंध जारी रखा जाना चाहिए। बांज ओक (*Quercus leucotricophora*) और तिलोंग ओक (*Quercus floribunda*) और अन्य जंगलों में परिपक्व चीड़ पाइन (*Pinus roxburghii*) के पेड़ों को काटा किया जाना चाहिए।

16. ग्रामीणों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए और समुदायों की सामाजिक भलाई के लिए अपनी निजी भूमि पर उगने वाले परिपक्व चीड़ पाइन के पेड़ों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

On behalf of the contributors

Vishal Singh
Centre for Ecology Development and Research

Collectively drafted by

S. No.	Name	Designation	Organization	Email
1	Shri Anoop Nautiyal	Director and Founder	SDC Foundation	anoop.nautiyal@gmail.com
2	Shri Anup Shah, Padma Shri	Environmentalist	Independent	anupthulgharia@gmail.com
3	Prof. GS Rawat, D.Sc., FNAS	Retd (Scientist, WII)	Independent	gsrawat59@gmail.com
4	Shri Gauri Rana	Community	SLCC, Nainital	ranagauri@gmail.com
5	Shri Puran Barthwal	Research Expert	PSI, Dehradun	puranb@rediffmail.com
6	Dr. Rajan Kotru	Lead Strategist	REST	rajan@rest4all.com
7	Dr. Rajesh Thadani	Executive Director	CEDAR, Dehradun	thadani_rajesh@hotmail.com
8	Prof S.P. Singh, FNA	Former VC	AT, India, Dehradun	spsecology@gmail.com
9	Prof. S.P.Sati	Prof and Head	College of Forestry Ranichauri	spsatihnbgu@gmail.com
10	Prof. Shekhar Pathak, Padma Shri	Environmentalist-Historian	Pahad	shepa.pahar@gmail.com
11	Shri STS Lepcha IFS	retd PCCF, UK	Independent	stslepcha@gmail.com
12	Shri Vijay Jardari	Environmentalist	Beej Bachao	vijayjardhari@gmail.com
13	Shri Vinod Pandey	Naturalist and Conservationist	Independent	vinopande@gmail.com
14	Dr. Vishal Singh	Director Research	CEDAR	vishal@cedarhimalaya.org